135/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–8-23
क्रमांक – 135/2017
आरबीई सं0– 61/2017
सं0 ई/254/2/भाग–22/चार

दिनांक 14–07–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय –सीधी भर्ती कोटे की 50% रिक्तियों को सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) के माध्यम से भरने के लिए उसी ग्रेड में/वेतनमान में कर्मचारियों की पात्रता के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)1–2008/पीएम 1/6 पार्ट दिनांक 23.06.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

14.07.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/आराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकाप्रधि/एमसीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

14.07.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R- 125

135/2017

आरबीई सं. 61/2017

भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

NER

सं. ई(एनजी)I-2008/पीएम1/6 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 23.06.2017

महाप्रबंधक(पी)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: सीधी भर्ती कोटे की 50% रिक्तियों को सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) के माध्यम से भरने के लिए उसी ग्रेड पे/वेतनमान में कर्मचारियों की पात्रता के संबंध में।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.10.2005 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2004/पीएम2/3.

क्षेत्रीय रेलें कृपया संदर्भ में दर्शाए गए बोर्ड के पत्र का अवलोकन करें जिसके अनुसार जिस ग्रेड के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (जीडीसीई) आयोजित की जानी है, उससे कम ग्रेड में कार्य करने वाले कर्मचारी सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोजित होने वाले चयन में शामिल होने के लिए पात्र हैं।

2. एआईआरएफ और एनएफआईआर दोनों संघों ने जीडीसीई में शामिल होने के लिए कर्मचारियों की पात्रता के मामले को उठाया है और बोर्ड से अनुरोध किया है कि समान ग्रेड पे/वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी जीडीसीई का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

3. इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि संदर्भ में दर्शाए गए बोर्ड पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए समान ग्रेड पे/वेतनमान वाले कर्मचारियों को जीडीसीई के लिए आयोजित होने वाले चयन में शामिल होने की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाए जिनमें चयन गैर-संरक्षा कोटि से संरक्षा कोटि के पदों में जाने के लिए हो। अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(पी. एस. मी...)
उप निदेशक-II/स्था.(अराजपत्रि...
रेलवे ...